

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

निर्णय

मिसल न. :- 08 / 2019

दिनांक - 18.10.19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का किसनासर ने रिपोर्ट (पी - 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2076 में गैर सायल

साकिन शिवश्यामीशिव पुत्र श्री शेड़ाशम जाति जाट ने ग्राम शाफपुरा डडान के ख.न. 249 रकबा 2.48 है. में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल

शिवश्यामीशिव पुत्र श्री शेड़ाशम जाति जाट साकिन : ३६ को ग्राम शाफपुरा डडान के ख.न. 249 रकबा ३६ में अतिचार करने पर राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 2.00 का 50 गुणा रुपये 250/- शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली व कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफतर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।


तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर